

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों के मद्देनजर जिला कांगड़ा में CGHS वेलनेस सेंटर बनाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।

Concern over production capability and high price of ethanol

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): महोदय, सरकार के द्वारा 2025 तक 20 परसेंट ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत होगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को प्राप्त करने के प्रयास की सफलता में प्रमुख समस्या पर्याप्त इथेनॉल का प्रोडक्शन, राँ मैटेरियल की उपलब्धता, उपयुक्त तकनीक तथा निवेश एवं इथेनॉल के दामों को सभी स्टेकहोल्डर्स के हित में तय करना है। ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुल 1,350 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान दाम, इंसेंटिव और निवेश से संभव नहीं है। लगातार इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इथेनॉल के लिए विभिन्न विकल्पों को लेकर चलना होगा। शुगर से प्राप्त इथेनॉल के लिए शुगर मिल्स को वित्तीय मजबूती देनी होगी एवं अधिक से अधिक शुगर को इथेनॉल के लिए डायवर्ट करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक इंसेंटिव देने की जरूरत है। देश में इथेनॉल प्रोडक्शन प्रारंभिक अवस्था में है, जिसे सरकार की ओर से प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है। सरकार को शुगर से प्राप्त इथेनॉल के दामों में कम से कम 7-9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इथेनॉल के दामों को आकर्षक बनाकर इथेनॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करने से बहुउद्देशीय इथेनॉल नीति का समग्र रूप से देश को लाभ मिलेगा। एक अच्छी इथेनॉल पॉलिसी से धरातल पर एक मजबूत इथेनॉल इंडस्ट्री की स्थापना में इथेनॉल के दामों का सही निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार उचित कदम उठाएगी।

Concern over Jangam Community in Northern India

श्री कृष्ण लाल पंवार (हरियाणा) : महोदय, उत्तर भारत के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों में जंगम जाति सदियों से घंटी-भिक्षा करके जीवनयापन कर रही है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं : -

1. उपरोक्त राज्यों में जंगम जाति की कुल जनसंख्या मात्र 58,000 है। शत-प्रतिशत भूमिहीन व अशिक्षित होने के कारण केवल मात्र 0.001% व्यक्ति ही सरकारी व गैर सरकारी नौकरी करते हैं।
2. उत्तर भारतीय राज्यों में जंगम जाति सदियों से घंटी-भिक्षा द्वारा शिव गायन करके जीवनयापन कर रही है।
3. माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा स्थापित इदायते आयोग की रिपोर्ट में भी हरियाणा व राजस्थान की जंगम जाति को घूमंतु जाति (Nomadic Tribes) घोषित किया गया है।
4. विश्व संस्था यूनेस्को (UNESCO) द्वारा हरियाणा में जंगम जाति की बहुत कम जनसंख्या होने के कारण वर्ष 2011 में जंगम परम्परा को लुप्तप्रायः घोषित किया गया है।

5. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा सन 1950 में ही महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य में परम्परागत रूप से घंटी-भिक्षा व्यवसाय करने वाली जंगम जाति को बेड़ा जंगम, बूड़गा जंगम व माला जंगम के नाम से आरक्षण दिया गया है।

महोदय, उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उत्तर भारतीय राज्यों विशेषकर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर की जंगम जाति को राष्ट्रीय घुमन्तू जनजाति आयोग (इदायते आयोग) की सिफारिश को लागू करते हुए पिछड़े वर्ग (बीसी) की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) की सूची में आरक्षण प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद।

Concern over non-availability of records for 1962, 1965 and 1971 wars with National Archives of India

SHRI BRIJLAL (Uttar Pradesh): Sir, it has been gathered that non-historical records — since 1960 — and records of 1962, 1965 and 1971 Wars, and also the records on Green Revolution, are not available with the National Archives of India, as most of the departments have not shared the information for these years with the NAI. Sir, nine departments, Commissions, institutions and attached bodies, including Agriculture, IT and Electronics, Social Justice, Panchayati Raj, Rural Development, Women, Child Development and Child Affairs are some of the prominent departments/organizations yet to share the records with the NAI.

There are 151 Ministries and Departments, but NAI has records of only 64 agencies, including 36 Ministries and Departments.

Situation seems to be alarming and immediate steps need to be taken so that historically important information is not lost in the name of weeding out records. Officers and staff need to be sensitized about the awareness of records of historical importance and transfer it to NAI in a time-bound manner. Necessary instructions should immediately be sent to all Government organizations to identify, preserve and transfer this historical treasure trove to NIA.

Demand for establishment of Vidhan Parishad in Odisha

DR. SASMIT PATRA (Odisha): In August 2018, the Odisha Cabinet approved a proposal to set up a Vidhan Parishad or Legislative Council as an Upper House to the Odisha Vidhan Sabha or Legislative Assembly. Its strength would not exceed one-third of that of the Assembly, which in Odisha's case would work out to a maximum of 49 Members. The setting up of an Upper House was preceded by the setting up of a